"प्रकाशनार्थ स्वीकृत"

निर्णय सुरक्षित– 01.09.2022
निर्णय उद्घोषित– 14..09.2022

न्यायालय कक्ष सं०- 84

समक्ष उच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार इलाहाबाद

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या–10328/2022

इरफान व एक अन्य ––– आवेदक

द्वाराः – अमित डागा, अधिवक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य ––– विपक्षीगण

द्वाराः– परितोष मालवीय, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता

अनुक्रमणिका क्रमांक	विवरण	प्रस्तर संख्या
(क)	पार्श्वभूमि	1 लगायत 6
(ख)	आवेदक गण का पक्ष	7 लगायत 11
(ग)	राज्य सरकार का पक्ष	12 लगायत 14
(घ)	प्रासंगिक विधि प्रावधान	15
(ङ)	गिरोहबन्द अधिनियम की विधि	16 लगायत 20
(च)	उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ	21 लगायत 27
(छ)	विश्लेषण	28 लगायत 31
(ज)	निष्कर्ष	32

******

माननीय सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति

(क) पार्श्व भूमिः-

1. आवेदक, इरफान व फहीम उर्फ फईम के विरूद्ध रविन्द्र कुमार, थाना प्रभारी, अजीम नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0350 वर्ष 2020, दिनांक 27.11.2020

को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (संक्षेप मे गिरोहबन्द अधिनियम) की धारा 3(1) के अंतर्गत दर्ज कराई जिसका पुनरूत्पादन निम्न हैः–

"तहरीर जुबानी वादी बयान किया मैं एसओ रविन्द्र कुमार मय एक जरब पिस्टल मय 10 कार० मय हमराह का० 147 पुनीत कुमार मय एक जरब इंसास राय० मय 20 कार० मय का० 14 धर्मेन्द्र कुमार मय एक जरब इंसास राय० मय 20 कार० मय जीप सरकारी नं० यूपी 22 जी 0396 के मय चालक का० अरुण कुमार के बाद देख रेख शांति व्यवस्था, गस्त व चैकिंग पैट्रोल पम्प, बस स्टेण्ड,टेक्सी स्टेण्ड चैकिंग, वाहन चैकिंग, ढावे चैकिंग, चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व भ्रमण से थाना हाजा मय अनुमोदन शुदा गैंग चार्ट गैंगलीडर इरफान पुत्र स्व० इमरान नि० गण ग्राम खेड़ा टांडा थाना अजीमनगर रामपुर के उपस्थित थाना आकर दाखिल किया जांच से अभि० गण 1. इरफान पुत्र स्व० इमरान उम्र 46 वर्ष 2.फहीम उर्फ फईम पुत्र मुमताज उर्फ कलुआ उम्र 36 वर्ष नि० गण ग्राम खेड़ा टांडा थाना अजीमनगर रामपुर द्वारा ***अपने क्षेत्र व आसपास में अपने कृत्यों से आतंक व भय व रोष व्याप्त कर रखा है जनता इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने का साहस नही कर पाती है इस गिरोह के गैंग लीडर द्वारा बलात्कार/छेड़छाड़ जैसे कृत्य करके अपने व अपने सदस्यो का भौतिक लाभ कमाना है यह गैंग समाज विरोधी क्रिया कलाप करना इनका पेशा बन गया है इनका आपराधिक इतिहास 1. मु०अ०सं० 623/2019 धारा 376 डी/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली जनपद रामपुर 2. 964/2019 धारा 354/506 भादवि चालानी थाना सिविल लाइंस जनपद रामपुर है। इनकी गतिविधियो पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है*** *इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो बोला वही लिखा है। रवाना शुदा*

अस्लाहा व कारतूस अन्दर मालग्रह रखवाकर ताला बन्द ठीक मालग्रह संतरी पहरा को दिखाया गया चावी पूर्ववत रही चार्ज थाना स्वयं ग्रहण किया।" *(महत्ता प्रदान की गई)*

2. आवेदकगण के विरूद्ध गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) व उसके अनुमोदन की कार्यवाही निम्न हैः–

"गैंग चार्ट गैंग लीडर इरफान पुत्र स्व० इमरान निवासी खेड़ा टाण्डा अजीमनगर जनपद रामपुर

	अभियुक्त का नाम व पता	*वर्तमान स्थिति*		*उम्र*	*मु०अ०सं० 623/2019 धारा 376 डी/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली जनपद रामपुर आरोप पत्र सं० 05/2020 दिनांक 15.01.2020*	*मु०अ०सं० 964/2019 धारा 354/506 भादवि चालानी थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर आरोप पत्र सं० 82/ 2020 दिनांक 14.03.2020*
		P	*J*			
1	*इरफान पुत्र स्व० इमरान नि० ग्राम खेडा टाण्डा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर*	*P*		*46*	✓	✓
2	*फहीम उर्फ फईम पुत्र मुमताज उर्फ कलुआ नि० ग्राम खेडा टाण्डा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर*	*P*		*36*	✓	✓

श्रीमान जी,

निवेदन है कि इरफान पुत्र स्व० इमरान नि० ग्राम खेडा टाण्डा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर ने अपना संगठित गिरोह बना रखा है। जिसका गैंग लीडर इरफान स्वयं है इस गैंग के सदस्य फहीम उर्फ फईम उपरोक्त ने अपने गिरोह के सदस्यो के साथ मिलकर महिला के बलात्कार/छेड़छाड़ जैसे अपराध कारित किये है। इस गिरोह का क्षेत्र में इतना आतंक व भय व्याप्त है कि इनके विरुद्ध कोई भी जनता का व्यक्ति न तो गवाही देने का और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का

साहस कर पा रहा है इस गैंग से जनता मे रोष व भय व्याप्त है। इस गिरोह द्वारा महिला के बलात्कार/छेड़छाड़ जैसे जघन्य अपराध कारित करके अपने व अपने गैंग के सदस्य के लिये भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु बलात्कार करना है इसका क्षेत्र में स्वतन्त्र विचरण करना जनहित में उचित नही है। अभि० गण की अपराध स्थिति गैंग चार्ट में अंकित है अभि०गण का उक्त कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्ध एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जनहित में इन अभियुक्तो के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

नोटः– श्रीमान जी उपरोक्त अभियुक्तो के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमों में थाना हाजा पर पूर्व में कोई गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत नही है।

अतः अनुरोध है कि गैंग चार्ट अनुमोदित करने की कृपा करें।

ह० अप०	*ह० अप०*	*ह० अप०*	*ह० अप०*	*ह० अप०*	*ह० अप०*
जिलाधिकारी	*पुलिस अधीक्षक*	*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक*	*उप जिलाधिकारी*	*क्षेत्राधिकारी*	*थानाध्यक्ष*

3. उपरोक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अन्वेषण के दौरान थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार संबंधित ब्यान गवाह नईमा पत्नी मौ. तलहा व संबंधित ब्यान गवाह हसीबा पुत्री अतउर्हमान लेखबद्ध किये गये जो निम्न वर्णित किये जा रहे हैं:–

"बयान वादी– थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार पुत्र स्व० हाकिम सिंह निवासी नंगला थाना सादाबाद जिला हाथरस वर्तमान तैनाती थानाध्यक्ष थाना अजीमनगर रामपुर पीएनओ 962282269 मो० नं० 8218358692 ने पूछने पर बताया कि मै दिनांक 20–10–2020 से थानाध्यक्ष अजीमनगर जनपद रामपुर के पद पर तैनात हूँ। दौराने क्षेत्र भ्रमण ज्ञात हुआ कि गैंगलीडर इरफान पुत्र स्व० इमरान नि०गण ग्राम खेड़ा टांडा थाना अजीमनगर रामपुर ने ***अपने नेतृत्व में एक सुसंगठित सक्रिय गिरोह बना रखा है।*** *जिसका वह स्वयं गैंग लीडर है तथा अभियुक्तगण 1– इरफान पुत्र स्व०*

इमरान उम्र 46 वर्ष, 2– फहीम उर्फ फईम पुत्र मुमताज उर्फ कलुआ उम्र 36 वर्ष नि० गण ग्राम खेड़ा टांडा थाना अजीमनगर रामपुर सक्रिय सदस्य है। ***इन दोनो के द्वारा अपने क्षेत्र व आस पास से अपने कृत्यों से आतंक व भय व रोष व्याप्त कर रखा है जनता इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने का साहस नही कर पाती है इस गिरोह के गैंग लीडर द्वारा बलात्कार/छेड़छाड़ जैसे कृत्य करके अपने व अपने सदस्यों का भौतिक लाभ कमाना है यह गैंग समाज विरोधी क्रिया कलाप करना इनका पेशा बन गया है*** *इनका आपराधिक इतिहास 1– मु०अ०सं० 623/2019 धारा 376 डी/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली जनपद रामपुर, 2– 964/2019 धारा 354/506 भादवि चालानी थाना सिविल लाइंस जनपद रामपुर है। इनकी गतिविधियो पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है इनके विरुद्ध श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय रामपुर व उच्चाधिकारीगणों द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर इनके विरुद्ध उ०प्र०गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि० 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था अभियुक्तगण उपरोक्त अर्जित धन को अपने ऐशो अराम में खर्च करते है। इनका जनता में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने का साहस नही कर पाता है। इन अभियुक्तो का समाज में स्वतंत्र रहना समाज के हित में सही नही है। यही मेरा बयान है।"*

<u>"बयान गवाह सम्बन्धित मु०अ०सं० 623/19 धारा 376 डी/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली रामपुर व मु०अ०सं० 964/19 धारा 354/506 भादवि चालानी थाना सिविल लाईन रामपुर श्रीमती नईमा पत्नी मौ० तलहा</u>

नि० ग्राम दौकपुरी टांडा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम नईमा है मेरे पति का नाम मौलवी तलहा तथा मै ग्राम दोकपुरी टांडा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर की रहने वाली हूँ। मै दिनांक

16–11–2019 को दिन में समय करीब 02.00 बजे दोपहर दवा लेकर जिला अस्पताल रामपुर से अपने घर आने के लिये सड़क पर सवारी का इंतजार कर रही थी तभी मेरे गांव के इरफान पुत्र स्व० इमरान निवासी ग्राम खेडा टांडा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर व फहीम उर्फ फईम पुत्र मुमताज उर्फ कलुआ निवासीगण ग्राम खेडा टांडा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर एक कार में जिसको एक व्यक्ति जिसे मै पहचानती नही थी चला रहा था मेरे पास आकर रुके और इरफान ने मुझसे पूछा कैसे खडी हो मैने घर जाने की बात उन्हे बताई तो उन्होने कहा कि हम भी घर जा रहे है चलो तुम्हे भी घर छोड़ देगे, मैने विश्वास करके उनकी गाडी में बैठ गयी उन्होने मुझे कोल्ड्रीक पिलायी जिसमें कुछ नशीला पदार्थ था और मुझे जंगल की तरफ ले गये जहाँ ईख के खेत में ले जाकर तीनो ने बारी बारी मेरे साथ बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी मैने अपनी बहन हसीबा को उस बावत फोन से सूचना दी वो भी घरवालो को लेकर मौके पर आ गये थे जिनको मैने सारी बात बतायी उक्त घटना के सम्बन्ध में मैने 18.11.2019 को थाना कोतवाली रामपुर में रपट लिखायी थी यही मेरे बयान है। इस तरह वादिनी/ पीड़िता एफ०आई०आर० को तस्दीक कर बयान दे रही है इसके उपरान्त बताया कि मै दिनांक 27.11.19 को कप्तान साहब से मिलकर कचहरी में 164 द०प्र०सं० के बयान नकल लेने के लिये गयी थी वहाँ मुझे कचहरी में इरफान उर्फ इमरान, फईम पुत्र मुमताज इनके साथ 2 व्यक्ति और थे जिन्हे मैं नही जानती थी यह लोग मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे चल दिये नूरमहल के पास आकर इन्होने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बदतमीजी कि तथा मेरी छाती पकड़ ली और मुझसे मेरे द्वारा पूर्व में लिखाये बलात्कार के मुकदमे को वापस करने को कहने लगे न करने पर जान से मारने की धमकी दी मेरे शोर मचलाने पर वे लोग भाग गये। मैने 112 नम्बर पर काल की तो वहां पुलिस आ गयी व मुझे थाना सिविल लाईन जाने को कहा फिर मै अपनी दूसरी बहन के साथ सिविल लाईन थाने

गये उस दिन वहा मेरी रिपोर्ट नही लिखी गयी। दिनांक 30.11.2019 को मेरी रपट लिखी गयी दोनो मुकदमें मैने ही लिखाये है इस तरह वादिनी/पीड़िता दोनो एफ०आई०आर को तस्दीक करते हुये बयान दे रही है बयान लेखबद्ध सीडी किये जाते है।"

"बयान गवाह– मु०अ०सं० 623/19 धारा 376 डी/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली रामपुर से संबंधित गवाह हसीबा पति अतख रहमान नि० ग्राम दौकपुरी टांडा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर ने पूछने पर बताया कि दिनांक 16.11.2019 को मेरी बहन नईमा ने मुझे फोन से बताया था कि रामलीला ग्राउन्ड से पास ईख के खेत में मेरे साथ बलात्कार की घटना इमरान व फईम व 01 अन्य व्यक्ति ने की है जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दिनांक 18.11.2019 को नईमा द्वारा लिखायी गयी तथा दिनांक 27.11.2021 को नूरमहल के पास इरफान ने नईमा की बलात्कार का मुकदमा वापस लेने की धमकी दी थी और बुरी नियत से उसके पकड़ लिया था जिसकी सूचना 112 नम्बर को दी थी इसका मुकदमा दिनांक 30.11.2019 को थाना सिविल लाईन रामपुर में लिखाया था जो मैने देखा व सुना आपको बता दिया है। यही मेरी बयान है। इस तरह गवाहान एफआईआर का समर्थन करते हुये बयान दे रही है जिसे लेखबद्ध सीडी किया गया।" (महत्ता प्रदान की गई)

4. अन्वेषण के दौरान आवेदकगण/अपराधीगण से भी कई बार पूछताछ की गई जैसा की वर्तमान प्रार्थना पत्र के प्रस्तर नं० 18 मे वर्णित है।

5. जाँच अधिकारी ने अन्वेषण के उपरान्त, आरोप पत्र संख्या 191/21 दिनांक 29.07.2021, दोनो आवेदक के द्वारा गिरोह बन्द अधिनियम के धारा 3(1) के अंतर्गत अपराध कारित होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने के कारण न्यायालय को प्रेषित की। न्यायालय द्वारा अवलोकन कर दिनांक 19.08.2021 को

संज्ञान लिया गया व आदेश दिनांक 19.08.21 के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी किया गया, जो निम्न उद्धरित किया जा रहा हैः–

"19.08.21

आज यह आरोप पत्र अन्तर्गत मु०अ०सं० 350/2020 अं०धारा 3(1) जी० एक्ट थाना अजीमनगर जिला रामपुर की पुलिस द्वारा अभि०गण (1) इरफान, (2) फहीम उर्फ फईम के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

केस डायरी व अन्य प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि अभि० गण के विरूद्ध गैंग चार्ट में अभि०गण (1) इरफान (2) फहीम उर्फ फईम के विरुद्ध मु०अ०सं० 623/19 अं०धारा 376 डी/506 आई०पी०सी० व अ०सं० 964/19 अं०धारा 354/506 आई०पी०सी० में अपराध दर्ज है। अतः केस डायरी व अन्य प्रपत्रो के अवलोकन से विदित है कि अभि०गण (1) इरफान (2) फहीम उर्फ फईम के विरूद्ध धारा– 3(1) जी० एक्ट में संज्ञान लेने हेतु आधार पर्याप्त है। अतः उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 3(1) जी० एक्ट में संज्ञान लिया जाता है। अभि०गण द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.01.21 व 22.02.21 प्रस्तुत किया गया है। अभि०गण अद्यतन आदेश प्रस्तुत करे। अभि०गण के विरूद्ध सम्मन दिनांक 08.09.21 के लिए जारी हो।"

6. आवेदकगण ने वर्तमान आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर किया गया है, जिसके द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोप पत्र दिनांक 29.07.2021 व एस.एस.टी. 46/2021 (सरकार बनाम इरफान आदि), अपराध संख्या – 350/2020, अंतर्गत धारा 3(1) गिरोहबन्द अधिनियम, थाना – अजीम नगर, जिला– रामपुर, में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय –3 रामपुर द्वारा

जारी सम्मन आदेश पत्र दिनाँक 19.08.21 व समस्त कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

(ख) आवेदकगण का पक्ष

7. आवेदकगण का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अमित डागा ने प्रबलता से इस न्यायालय के समक्ष रखा कि यह एक विद्वेषपूर्ण कार्यवाही है। आवेदक संख्या एक पूर्व मे गाँव का प्रधान रहा है, परन्तु हाल मे हुए चुनाव में उसको हार मिली व आवेदक संख्या दो उसका रिश्तेदार है। गिरोह सारणी में उल्लेखित दोनो मामलो की शिकायतकर्ता श्रीमती नईमा के पति तल्हा एक मदरसे मे मौलवी हैं जहां और बच्चो के साथ आवेदक संख्या 3 की भतीजी भी पढ़ती थी। वहां उसके साथ उक्त मौलवी ने छेड़छाड़ की व बलात्कार की कोशिश की, जिस पर उसके विरूद्ध एक प्रथम सूचना (अपराध सं० 84 वर्ष 2019) धारा 354 ख भा.दं.सं. व 7/8 पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुई, जिस पर आरोप पत्र (अन्तर्गत धारा 376 AB, 506 व 5 एम/6 पाक्सो अधिनियम) प्रेषित हुआ व विचारण के बाद उक्त मौलवी के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा उक्त आरोपों के सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप निर्णय व आदेश दिनांक 14.12.2020 द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ, जिसकी अपील इस न्यायालय में लम्बित है। इस कारणवश गिरोह सारणी में उल्लेखित मामलों की शिकायताकर्ता विद्वेष रखती है , इसलिए उनके विरूद्ध दो असत्य मुकदमे दर्ज कराये हैं। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उन दो मामलो मे आवेदकगण को जमानत मिल गई है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

8. श्री अमित डागा, अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वर्तमान प्रकरण मे जाँच अधिकारी ने दोनों मामलों के शिकायताकर्ता का ब्यान दर्ज किया व कई तिथियों पर आवेदकगण से पूछताछ की और जब उनको हिरासत में लेने का भय हुआ तो उन्होने एक रिट याचिका नं० 17698/2020 इस न्यायालय के समक्ष

दाखिल की, जिसमें इनके विरूद्ध उत्पीड़न कार्यवाही न करने का अंतरिम आदेश पारित हुआ जो अभी भी प्रभावी है।

9. श्री अमित डागा, अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अन्वेषण के दौरान आवेदकगण के विरूद्ध कोई भी विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य संग्रहित नहीं किये गये हैं, कि आवेदकगण ने कोई गिरोह का निर्माण कर रखा है या धारा 3(1) गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया है। आरोप पत्र मात्र दो आपराधिक मामले के पीडित व शिकायतकर्ता के ही साक्ष्य के ब्यान पर आधारित है। कोई भी स्वतन्त्र साक्ष्य का ब्यान लेखबद्ध नही किया गया है। उक्त अपराध का संज्ञान व आवेदकगण को सम्मन भी सत्र न्यायालय ने न्यायिक मानस से नहीं किया है। पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि आवेदकगण ने लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है या किसी लाभ के उद्देश्य से समाज विरोधी क्रियाकलाप किया है या जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाया हो।

10. विद्वान अधिवक्ता ने समकक्ष न्यायालय द्वारा **तेज सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्यः 2019 एससीसी आनलाईन एएलएल 5083** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया जहाँ, यह निर्धारित किया गया है किः–

> *"XXX यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि अपराधी द्वारा कारित अपराध क्या अनुचित दुनियाबी, आर्थिक या भौतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित और अनुबंधित है या नही। अपराध का उद्देश्य या उसका प्रयोजन निर्णायक होगा, कि गिरोहबन्द अधिनियम के प्रावधान क्या किसी वस्तुतः मामले मे अनुप्रयोग किये जाये या नही।"*
>
> *"XXX जब कभी भी कोई गंभीर अपराध कारित होता है तो परिणाम स्वरूप हमेशा समाज मे किसी न किसी प्रकार का व्यवधान होता ही है वो समाज मे सामान्य व्यवधान और लोक व्यवस्था का अस्त व्यस्त होना या संत्रास अथवा आतंक का उत्पन्न होना अलग–अलग भ्रांति है। विधि एवं व्यवस्था*

की सामान्य समस्या को लोक व्यवस्था के व्यवधान की संवृत्ति से संयोजित नही किया जा सकता है। XXX"

(उपरोक्त अनुवाद न्यायालय द्वारा किया गया है।)

11. अन्त मे विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि ऐसा कोई साक्ष्य संग्रहित नहीं किया गया है, जो आवेदकगण के विरूद्ध धारा 3(1) गिरोहबन्द अधिनियम मे वर्णित अपराध के अवयव को दर्शाता हो। अतः यह न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आवेदकगण के विरूद्ध दंण्डनीय कार्यवाही को निरस्त करे।

(ग) राज्य सरकार का पक्षः–

12. उपरोक्त के विपरीत, राज्य शासन का पक्ष, श्री परितोष मालवीय विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता, ने पुरजोर रखा, कि आवेदकगणो द्वारा अपने क्षेत्र व आसपास में अपने कृत्यो से आतंक व रोष व्याप्त कर रखा है कि जनता इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने का साहस नहीं कर पा रही है। ये बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे कृत्य करके अपना व गिरोह के सदस्यों को भौतिक लाभ कमाते हैं। इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है , इसलिए गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टवा अपराध दृष्टिगोचर होता है। इनके विरूद्ध दो मुकदमा अपराध पंजीकृत हुए हैं जिनमें आरोप पत्र सामूहिक बलात्कार (धारा 376 घ) व स्त्री की लज्जा भंग (धारा 354 व 506) जैसे गंभीर अपराध में प्रेषित किया जा चुका है।

13. परितोष मालवीय, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि गिरोह सारणी मे उपरोक्त दो आपराधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है, व जाँच के दौरान उन मामलों की पीडिता का साक्ष्य भी लेख बद्ध किया गया है, कि आवेदकगण ने उसके साथ बलात्कार किया व प्रथम सूचना रिपोर्ट को वापस लेने के लिए दबाव भी डाला व लज्जा भंग भी करी और यह भी कथन किया कि

इनके भय के कारण इनके विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता है और उसने गिरोहबन्द के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्टि भी की। अतः धारा 3(1) गिरोह बन्द के अवयव प्रथम दृष्टवा विद्यमान हैं तथा इस स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को अचानक मृत्यु नही दी जा सकती है, तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य **तेज सिंह (पूर्व मे उल्लिखित)** से भिन्न है। जैसा कि वर्तमान प्रकरण में यह साक्ष्य संग्रहित है, कि आवेदकगण के कृत्यों के कारण जनता में दहशत है और उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने से घबराते हैं और अगर कोई दर्ज कराता भी है तो उस पर उसको वापस लेने के लिए दबाव भी डालते हैं।

14. अतः इनके द्वारा बलात्कार व छेड़छाड़ के अपराध कारित करने के कारण लोक व्यवस्था का अस्त–व्यस्त करने के लिए समाज विरोधी क्रिया कलाप करते है जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

(घ) प्रासंगिक विधि प्रावधानः–

15. वर्तमान प्रकरण के लिये गिरोहबन्द की अधिनियम व भारतीय दण्ड़ संहिता की निम्न धाराओं का उल्लेख करना समीचीन रहेगाः–

गिरोहबन्द अधिनियम

*"2. **परिभाषा** – इस अधिनियम में, –*

(क) ''संहिता'' का तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 से है;

(ख) ''गिरोह'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या समूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात्––

(एक) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, या अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

(दो) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइक्रोट्रापिक सब्सटैन्सेज एक्ट, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धो का उल्लंघन किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का अवसान या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आयात या निर्यात, या विक्रय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना; या

(तीन) विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहें स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना; या

(चार) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्त्वयों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना; या

(पॉच) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

(छः) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

(सात) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या अधिकार के लिए, या माल के संभरण या किये जाने वाले कार्य के लिए, विधिपूर्वक संचालित किसी नीलामी मे बोली लगाने या विधिपूर्वक मांगे गये टेण्डर देने से किसी व्यक्ति को रोकना; या

(आठ) किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना; या

(नौ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–ड के अधीन दण्डनीय अपराध, या मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर किसी विधिपूर्वक होने वाले किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना या उसमे बाधा डालना; या

(दस) अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक साम्जस्य मे विघ्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना; या

(ग्यारह) जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना; या

(बारह) सार्वजनिक या निजी उपक्रमो या कारखानो के कर्मचारियो या स्वामियों या अध्यासियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना; या

(तेरह) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या व्यपदेशन पर कि उसे विदेश में कोई सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी, ऐसे विदेश मे जाने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना; या

(चैदह) फिरौती उद्यापित करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना; या

(पन्द्रह) किसी वायुयान या सार्वजनिक परिवहन यानो को उसके पूर्वनिर्धारित मार्ग से जाने से पथान्तरित करना या अन्यथा रोकना;

(सोलह)धन उधार देने का विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(सत्रह) पशु का अवैध रूप से परिवहन करने और/या तस्करी करने और गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में प्रावधानो के उल्लंघन में कार्यों मे संलग्न होना;

(अट्ठारह) वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यपार, करने, भिक्षा और समान क्रिया कलापो के प्रयोजनो के मानव दुर्व्यपार;

(उन्नीस) विधि विरूद्व क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(बीस) नकली भारतीय करेंसी नोटो का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

(इक्कीस) अवैध औषद्धि के उत्पादन , विक्रय और वितरण मे संलग्न होना;

(बाइस) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन मे आयुध एवं गोला, बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में संलग्न होना;

(तेइस) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक लाभ के लिए पेड़ काटना या मारना या उत्पादो की तस्करी करना;

(चैबीस) मनोरंजन और पण्यम कर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(पच्चीस) उन अपराधो मे संलग्न होना, जो राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था और जीवन के रफ्तार को भी प्रभावित करते है।

(ग) ''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रियाकलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रियाकलाप के किए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमे सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रियाकलाप किये हों, संश्रय देता है;

(घ) ''लाके सेवक'' का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 मे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से यथापरिभाषित लोक सेवक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की पुलिस या अन्य प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण या अभियोजन या दण्ड़ मे चाहे ऐसे अपराध या अपराधी के सम्बन्ध मे सूचना या साक्ष्य देकर या किसी अन्य रीति से, विधिपूर्वक सहायता करता है;

(ड) ''किसी लाके सेवक के कुटुम्ब का सदस्य'' का तात्पर्य उसके माता–पिता या पति या पत्नी, और भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, या इनमें से किसी के पति या पत्नी से है और इसके अन्तर्गत लोक सेवक पर आश्रित या उसके साथ निवास करने वाला कोई व्यक्ति और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके कल्याण में लोक सेवक हित रखता हो।

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या भारतीय दंड संहिता मे परिभाषित शब्दो और पदों के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो ऐसी संहिताओं में उनके लिए दिए गये हैं।

***3–शास्ति** –(1) किसी गिराहे बन्द को दोनो मे से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से कम न होगी और जो दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायगाः*

परन्तु किसी गिरोहबन्द को जो किसी लोक सेवक के शरीर के प्रति या लोक सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य के शरीर के प्रति कोई अपराध करता है, दोनो मे से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माना से भी, जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक होते हुये चाहे स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी गिरोहबन्द की किसी रीति से अवैध रूप से सहायता या समर्थन, चाहे गिरोहबन्द द्वारा कोई अपराध किये जाने के पूर्व या पश्चात् करता है, या विधिपूर्ण उपाय करने से विरत रहता है या इस संबंध मे किसी न्यायालय या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशो को कार्यान्वित करने से जानबूझकर करता है, दोनो मे से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जायगा।"

<u>भारतीय दंड संहिता</u>

*"506. **आपराधिक धमकी के लिए सजा–** जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।*

***यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट, आदि के लिए है –** और यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने, या आग से किसी संपत्ति का विनाश कारित करने के लिए, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, या किसी महिला पर अपवित्रता का आरोप लगाने के लिए हो, तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।"*

***"376D. सामूहिक बलात्संग**–जहाँ समूह को गठित करने वाले या सामान्य आशय के अग्रसारण में कार्य करने वाले एक या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा स्त्री से बलात्संग किया जाएगा, वहाँ यह समझा जायेगा कि उन व्यक्तियों में से प्रत्येक ने बलात्संग का अपराध कारित किया है और कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन तक की हो सकेगी, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा, और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा :*

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने का भुगतान पीड़िता को किया जाएगा।"

***"354. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग**–जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए*

कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम एक वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

(ङ) गिरोहबन्द अधिनियम की विधिः-

16. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसको गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप को रोकने और उनका सामना करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या अनुषांगिक विषयों के लिये विशेष उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

17. अधिनियम के शीर्षक से विदित होता है, कि यह अधिनियम गिरोहबन्द निवारण और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण के लिए अधिनियमित किया गया है। इसी नाते धारा 2(ख) (परिभाषा) में "गिरोह" की परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो एक विस्तृत परिभाषा है, जिसमें न केवल अपराध के उद्देश्य को सम्मिलित किया गया वरन समाज विरोधी क्रिया कलाप के अंतर्गत पच्चीस भिन्न–भिन्न अधिनियम और अपराध की प्रकृति के आधार पर भी अपराध या उसके कारण होने वाले परिणाम को भी सम्मिलित किया है जो हो सकता है किसी अधिनियम मे विशिष्ट रूप से अपराध की श्रेणी मे नही हो जैसे पूर्व मे वर्णित धारा 3(1) के *(दसवें) "अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक साम्जस्य मे विघ्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना;" (ग्यारहवें) "जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना;" व (अट्ठारहवें) "वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यपार, करने, भिक्षा और समान क्रिया कलापो के प्रयोजनो के मानव दुर्व्यपार।"* संभवतः उपरोक्त अपराध किसी अधिनियम में परिभाषित न हों।

18. "गिरोह" को शाब्दिक अर्थ के रूप मे परिभाषित नहीं किया है, परन्तु उस शब्द का 'तात्पर्य' क्या है ऐसा वर्णित किया गया है। जैसा **पी. कासिलिंगम व अन्य़ बनाम पी.एस.जी. कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 सप्ली (2) एस.सी.सी. 348** में निर्धारित किया गया कि तात्पर्य (means) एक सख्त नियम की परिभाषा है, जिसके कारण परिभाषा में लेख बद्ध शब्दो का अर्थ परिभाषा के द्वारा दिये गये अर्थ के अलावा अन्य कोई अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता है , जबकि शब्द "निहित" (Include) एक व्यापकता को दर्शाता है कि और परिभाषा का व्यापक अर्थ दिया जा सकता है।

19. उच्चतम न्यायालय ने **शारदा गुप्ता प्रति उत्तर प्रदेश शासन व अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 514** के विधिक दृष्टांत में उल्लेख किया है कि यह विधि की सुव्यवस्थित व्यवस्था है कि अधिनियम के प्रावधान जैसे हैं, वैसे ही पढे व समझे जाने चाहिये। अगर अपराधी किसी गिरोह का सदस्य है और किसी समाज विरोधी ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न है जो धारा 2(ख), गिरोहबन्द अधिनियम में वर्णित है जैसे हिंसा, धमकी या अभित्रास या प्रपीड़न या प्रदर्शन या अन्य प्रकार से लोक व्यवस्था अस्त–वयस्त करता है या किसी दुनियावी, भौतिक, आर्थिक या अन्य लाभ हेतु के उद्देश्य से समाज विरोधी क्रिया कलाप जो एक से पच्चीस तक वर्णित है, करता है तो, वो धारा 2(ख) के अंतर्गत गिरोहबन्द की परिभाषा के आधीन माना जायेगा व उसके विरूद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकेगा। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट/आपराधिक मुकदमा के आधार पर भी अभियोजन चलाया जा सकता है।

20. गिरोह की परिभाषा के अन्तर्गत किसी पूर्व में समाज विरोधी क्रिया कलाप की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है न ही किसी प्रकार के गिरोह सारणी की भी अनिवार्यता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अभी तक कोई नियमावली नही बनी है। तथ्यो के आधार पर मात्र यह निर्धारित करना है कि क्या क्रिया कलाप या कृत परिभाषा के आधीन है या नहीं। अगर धारा 2(ख) के खण्ड

(ग्यारह) व (पच्चीस) को ध्यान से परखा जाये तो यह उन घटनाओं को भी आधीन करेगा जहाँ भय के कारण अपराधी के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करा पा रहा है। अतः यह मत गलत नहीं होगा कि कतिपय परिस्थितियों में पूर्व में कोई अपराध दर्ज न भी हो तो भी गिरोहबन्द अधिनियम के आधीन अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है।

(च) उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ :–

21. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 482, उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति के प्रावधान के सम्बंध में है जो निम्न है ;–

> *"इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।"*

22. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को इस संहिता के किसी प्रावधान से सीमित नहीं किया जा सकता है। यह वो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए या अन्यथा सुरक्षित करने के लिए या न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों। यह शक्तियां इस संहिता के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई हैं, बल्कि यह शक्तियां उच्च न्यायालय में अन्तर्निहित हैं, जिसे संहिता के एक प्रावधान द्वारा घोषित मात्र किया गया है।

23. उच्चतम न्यायालय ने कई विधिक दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया है, कि इस असाधारण शक्तियों का दायरा तो व्यापक है, परंतु इनका उपयोग संयम एवम् सावधानीपूर्वक व दुर्लभ से भी दुर्लभ प्रकरण में ही किया जाना चाहिए। इसके उपयोग से किसी भी वैधानिक अभियोजन की आकस्मिक मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है।

24. अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए ये जाँचने के लिये की कोई प्राथमिकी किसी प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध को प्रकट करती है या नहीं , उच्च न्यायालय ना तो किसी जाँच संस्था और ना ही अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य कर सकता है। इन शक्तियों के अन्तर्गत किसी साक्ष्य की प्रमाणिता की जाँच भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि, इसका क्षेत्राधिकार उस न्यायालय का है, जिसके द्वारा परीक्षण किया जा रहा है या किया जायेगा। अन्वेषण के दौरान या आरोप पत्र दायर होने पर उच्च न्यायालय इस पहलू को भी नहीं देख सकता है कि आरोपी की ओर से मामले में अपेक्षित मानसिक तत्त्व या आशय मौजूद था या उसका क्या बचाव है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अभिलेखित बयानों का गंभीर आँकलन कर, आरम्भिक स्तर पर ही किसी परीक्षण को विफल किया जा सकता है।

25. उच्चतम न्यायालय ने बहुधा कहा है कि वो परिस्थितियॉ जिनके होने पर इन अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है, उसकी कोई संपूर्ण सूची तो नहीं बनायी जा सकती, परन्तु कुछ क्षेणियॉ उदाहरणार्थ निम्नलिखित है:–

क) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप को अगर उनके प्रत्यक्ष रुप में मान लिया जाये और संपूर्णता में भी स्वीकार किया जाये, तब भी, अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता हो,

ख) जहां प्राथमिकी और संलग्न सामग्रियों (यदि कोई हो), एक संज्ञेय अपराध को उद्घाटित नहीं करते हैं, तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण करने का कोई औचित्य साबित न होता हो;

ग) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अविवादित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्यों से किसी भी अपराध के कृत्य का होना प्रकट नहीं होता है और आरोपी के विरूद्ध कोई भी प्रकरण नहीं बनता हो;

घ) जहां प्राथमिकी के आरोप संज्ञेय अपराध को उद्घाटित न होते हों व केवल गैर–संज्ञेय अपराध को उद्घाटित करते हों, जहां पुलिस अधिकारी

द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है;

ङ)जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने असंगत और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं;

च)जहां किसी संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान के तहत विधिक प्रक्रिया को प्रारम्भ करने या प्रचलित रखने पर विधिक निषेध लगाया गया हो, और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के प्रावधान, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी प्रतिकार प्रदान करते हो।

छ) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्टतः दुर्भावनापूर्ण हो और/या जहां कार्यवाही विद्वेषपूर्ण रूप से आरोपी से अधिक प्रतिशोध लेने के लिए, परोक्ष उद्देश्य से की जाती है और जिसका लक्ष्य, निजी और व्यक्तिगत शिकायत के कारण उसे अपमानित करना हो। आपराधिक शिकायत को तब भी समाप्त किया जा सकता है जब मामला अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति का हो और उसे एक अपराधिक अपराध का रूप दिया गया हो और यदि कथित अपराध के तत्व, शिकायत में प्रथम दृष्टया भी उपलब्ध न हों। क्योंकि इस तरह की कार्यवाही प्रचलित रखने पर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(देखें :– **हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल: (1992) सप्ली 1 एससीसी 335, झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शारफुल हक़: (2005)1 एससीसी 122, अहमद अली क्वारशी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन : 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 107, जोसेफ सालवाराजा ए बनाम गुजरात राज्य (2011) 7 एससीसी 59, सुशील सेठी और एक अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश शासन और अन्य (2020) 3 एससीसी 240, प्रीति सराफ और अन्य बनाम दिल्ली व एनसीआर राज्य: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 206**)

26. उच्चतम न्यायालय ने, **मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र शासन व अन्य (2020)10 एस सी सी 118** में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि, उच्च न्यायालय द्वारा, धारा 482 दं.प्र.सं या संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर याचिका को निरस्त या निस्तारण करते हुए, अन्वेषण के दौरान या धारा 173(2) दं.प्र.सं के तहत आरोप पत्र/ अन्तिम रिपोर्ट दाखिल होने तक, गिरफ़्तारी न करने या कोई अवपीड़क कार्यवाही न करने का आदेश पारित करना, न्यायसंगत नहीं है। अगर असाधारण परिस्थितियों में, किसी प्रकरण में उच्च न्यायालय का अभिमत है, कि प्रथम द्रष्टव्य, अग्रिम अन्वेषण को स्थगित करना चाहिये, तो ऐसा आदेश, संक्षिप्त ही हो परन्तु सुविवेचित/ सकारण होना चाहिए, हालांकि ऐसे आदेश न ही नियमित रुप में, न ही संयोगवश और/या न ही यंत्रवत् रूप से पारित होने चाहिए। हाल में **सिद्धार्थ मुकेश भंडारी प्रति गुजरात राज्य सरकार: (दाण्डिक अपील सं०. 1044, 1045 और 1046 of 2022), निर्णय दिनांकित 02.08.2022** के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह पुनरावृत्ति भी किया है।

27. आरोप सत्य है या नहीं, यह विचारण में निर्धारित किया जायेगा। केवल उन विरल मामलों को छोड़कर जहां यह स्पष्ट रुप से विदित हो जाये कि आरोप गंभीरता से विचारणीय नहीं है या कोई भी अपराध उद्घाटित नहीं करते हैं, न्यायालय, धारा 482 दं.प्र.सं. की शक्ति का उपयोग करते हुए, शिकायत के आरोप की सत्यता की जाँच नहीं करता है। (देखें: **रामबीर उपाध्याय व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य : 2022 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 484**)

(छ)विश्लेषण

28. उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक पृष्ठभूमि में इस न्यायालय को यह निर्धारित करना है, कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, क्या आवेदकगण के विरूद्ध धारा 3(1) गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टवा अपराध दृष्टिगोचर करते

हैं या नही तथा क्या परिस्थितियाँ ऐसी है कि अन्तर्निहित शक्ति के उपयोग का मामला बनता है, या नहीं।

29. जैसा कि पूर्व मे विश्लेषण किया गया है, कि अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग दुर्लभ प्रकरणों में ही किया जाना चाहिये, वो भी जब अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टवा कोई अपराध नहीं बनता हो। आरोप सत्य है, या असत्य है यह निर्धारित करने का कर्तव्य विचारण न्यायालय को है न कि इस न्यायालय को। धारा 482 दं.प्र.सं. मे अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोप की सत्यता को नहीं परखा जा सकता है जैसा पूर्व मे यह उल्लेखित किया है और अगर प्रकरण के तथ्य व पत्रावली पर साक्ष्य से प्रथम दृष्टवा धारा 3(1) गिरोहबन्द अधिनियम में वर्णित अपराध कारित होने के साक्ष्य उपलब्ध हैं तो अन्तर्निहित शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

30. सर्वप्रथम यह विचार करना है, कि आवेदकगणों ने क्या गिरोह जैसा धारा 2(ख), गिरोहबन्द अधिनियम मे परिभाषित है, का प्रथम दृष्टवा समूह बना रखा है, जो ऐसी समाज विरोधी कार्यकलापों में लिप्त हैं, जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय– 16 के अधीन दण्डनीय अपराध है, या उनसे जनता मे दहशत या संत्रास फैला था एवं कृत कोई भौतिक या दुनियावी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। जैसा पूर्व मे विश्लेषण किया गया है कि 'गिरोह' की परिभाषा विस्तृत व वृहद है और समाज विरोधी क्रिया कलाप के अन्तर्गत अन्य प्रकार से पच्चीस भिन्न–भिन्न अपराधों को सम्मिलित किया गया है जिसमे से (ग्यारह) जनता मे दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना भी है। **तेज सिंह (पूर्व मे उल्लेखित)** मे यह अवलोकन कि "जब भी कोई गंभीर अपराध कारित होता है, तो परिणामस्वरूप हमेशा समाज मे किसी न किसी प्रकार का व्यवधान होता है" यह उक्त मामले के संदर्भ मे सही हो सकता है, परन्तु यह समान्यीकरण करना, गिरोह बन्द अधिनियम के उद्देश्य के प्रतिकूल होगा। "लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त" करना अपराध कारित होने के पश्चात उस स्थान या आस पास के वास्तविक माहौल पर आधारित

होगा, जो किसी मामले के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनज़र होगा न ही एक घटना को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता। शब्द 'दुनियावी', 'आर्थिक', 'भौतिक' व 'अन्य लाभ' का विस्तृत अर्थ है, जो केवल एक मामले के तथ्यों को ध्यान मे रखकर, संकुचित नहीं किया जा सकता है वो भी तब, जब विचारण नहीं हुआ हो और अन्तर्निहित शक्ति के उपयोग संदर्भित न हो। ऐसा तात्पर्य होना न केवल अनुचित है, बल्कि गिरोहबन्द अधिनियम के उद्देश्यों के प्रतिकूल भी है। अतः **तेज सिंह (पूर्व मे उल्लिखित)** का कोई लाभ आवेदकगण को नहीं मिल सकता है। आवेदकगण के अधिवक्ता का निवेदन कि पीडिता ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके विरूद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज कराये हैं क्योंकि उसके पति के विरूद्ध आवेदकगण ने एक अपराध में मामला दर्ज कराया था, जिसमे उसे सजा भी दी गई है, इस स्तर पर विचारणीय नहीं है, क्योकि यह एक बचाव है अतः विचारण का विषय है।

31. वर्तमान प्रकरण में यह सर्वविदित है, कि आवेदकगण के विरूद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अन्वेषण के उपरान्त आरोप पत्र, गंभीर अपराध कारित होने के साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण प्रेषित किये जा चुके हैं, जिनका संज्ञान भी लिया जा चुका है। तथ्यों के अनुसार आवेदकगण ने न केवल पीडित का सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर उसको धमकाया व उसकी लज्जा भंग भी करी तथा जाँच अधिकारी ने घटना स्थल के आस–पास के माहौल का अध्ययन कर साक्ष्य लेखबद्ध किया है, कि क्षेत्र में आतंक, भय व रोष व्याप्त है तथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का साहस कोई नहीं कर पाता है। इस आकलन को इस स्तर पर निराधार नही माना जा सकता है, वो भी तब, जब आवेदकगणो पर दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, जो धारा 3(1) के अधीन दण्डनीय है। आवेदकगण ने बलात्कार व छेड़छाड़ जैसे कृत्य करके, लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने व अपने गिरोह के लिए अनुचित दुनियावी व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज विरोधी क्रियाकलाप किये हैं, जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय–16 के अधीन दण्डनीय

है तथा इस कृत्य/क्रिया कलाप के कारण जनता में भय, दहशत या संत्रास भी फैला, जो धारा 2(ख)(ग्यारह) सपठित धारा 3(1) के अधीन दण्डनीय भी है, इन परिस्थितियों में अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करना आपराधिक कार्यवाही को अचानक मृत्यु पहुचाने जैसा होगा जो साधारणतया नहीं किया जा सकता है।

(ज) निष्कर्ष

32. अतः ऐसी कोई परिस्थिति नही है कि अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाये। आवेदन गुण दोष पर योग्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आदेश दिनाँकः– सितम्बर १४, २०२२

(२३ भाद्रपद, १९४४ शक)

अवधेश

(सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति)